

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 44 / 12

संस्थापन दिनांक :- 16 / 01 / 12

फाईलिंग नं. 233504000792012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

राजा पिता दीवान जी बसदेवा, उम्र 35 वर्ष
 निवासी रानीडोंगरी, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.2012 को समय शाम 04:30 बजे दिनेश बसदेवा के घर के सामने राना डोंगरी पर सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 से विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 15.01.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को जरिए टेलीफोन से सूचना मिली कि ग्राम रानीडोंगरी में राजा बसदेवा हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त उसे अवैध रूप से छुरी लिए लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे पकड़कर छुरी कब्जे में ली गयी तथा अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कोई कागजात नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 17/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2012 को समय शाम 04:30 बजे दिनेश बसदेवा के घर के सामने राना डोंगरी पर सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 से विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 15.01.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ ग्राम रानीडोंगरी पहुंचा तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तैयार कर उसे मौके पर सीलबंद किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 17/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने वापसी सान्हा (प्रदर्श प्री-4) को प्रमाणित किया है तथा आर्टिकल ए1 को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 नरेश (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उसके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी दिनेश एवं रहागीर साक्षी शिवनाथ की साक्ष्य का अवसर न्यायालय द्वारा समाप्त किये जाने से उक्त साक्षीगण का

परीक्षण नहीं कराया गया है। अभिलेख पर मात्र आर.के. दुबे (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त पुलिस साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाना तथा स्टाफ एवं गवाहों की मदद से अभियुक्त राजा से एक लोहे की धारदार छुरी कुल लंबाई 13 इंच जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) तैयार किया जाना तथा मौके पर जप्तशुदा छुरे को सीलबंद किया जाना तथा थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त से छुरी जप्त नहीं की थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जप्तशुदा छुरी धारदार नहीं थी। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से 16:30 बजे अभियुक्त से छुरी का जप्त किया जाना प्रकट हो रहा है। गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में गिरफ्तारी के समय पर ओव्हर राईटिंग की गयी है तथा उक्त दोनों ही प्रपत्रों पर अपराध क्रमांक पहले से ही लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही प्रकरण में खानगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी आर.के. दुबे के कथनों से ही यह प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर जप्तशुदा आयुध की नापजोप की गयी हो और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2012 को समय शाम 04:30 बजे दिनेश बसदेवा के घर के सामने राना डोंगरी पर सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 से विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त राजा को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का

निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)